प्रश्न सं. [क्र. 4131]

परिशिष्ट

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक	-	4131
माननीय सदस्य का नाम	-	श्री मेवाराम जाटव
सदन में उत्तर देने का दिनांक	-	23.03.2022

कार्यवाही विवरण

विषयः— नवीन पंजीकृत समितियो को अंशपूंजी सहायता विषयक।

आज दिनांक 08.10.2020 को पूर्ण निर्धारित एजेन्डा के साथ समय 2:30 अपरान्ह नवीन समितियों को अंशपूंजी सहायता विषयक कमेटी बैठक उपस्थिति निम्नानुसार रही :—

1. श्रीमति कृष्णा कुमरें अपर संचालक (वित्त) — अध्यक्ष
2. श्री अरविन्द सिंह सेंगर संयुक्त आयुक्त (साख) — सदस्य
3. श्री बृजेश शरण शुक्ला संयुक्त आयुक्त (विपणन) — सदस्य — अनुपस्थित
4. श्री अभय कुमार खरें संयुक्त आयुक्त (नवाचार) — सदस्य

बैठक में नवीन सहकारी समितियों को अंशपूंजी सहायता प्राप्ति हेतु संबंधित जिला कार्यालयों अनुशांसित आवेदनों पर विचार किया गया जो निम्नानुसार है :—

1. रूद्र मारूति बीज उत्पादक सहकारी समिति छिन्दवाड़ा के आवेदन पर विचार किया गया, समिति ने परिपत्र के सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओं से संबंधित शर्तो को पूर्ण किया है साथ ही संस्था की वित्तीय स्थिति के आधार पर कमेटी द्वारा समिति को रू. 2.5 लाख राशि अंशपूंजी सहायता दिये जाने की अनुशंसा की जाती है।
2. मध्य भारत पर्यटन सहकारी संस्था मर्या. धार के आवेदन के विचारोपरांत यह पाया गया कि संस्था ने परिपत्र में वांछित सभी शर्ता का पालन किया है। संस्था के कार्य एवं वित्तीय स्थिति के आधार पर कमेटी द्वारा रू. 5.00 लाख की अंशपूंजी सहायता की अनुशंसा की जाती है।
3. म.प्र. राज्य सहकारी जन औषधि विपणन संघ मर्या. भोपाल के आवेदन का अवलोकन किया गया, संस्था ने आयुक्त सहकारिता के परिपत्र के बिन्दुओं में उल्लेखित शर्तो को पूर्ण किया है। कमेटी के सदस्य श्री अरविन्द सिंह सैंगर, संयुक्त आयुक्त साख मुख्यालय द्वारा इस सोसायटी से परिवार जन संबंधित होने के कारण प्रस्तुत विचार बिन्दु पर स्वयं को तटस्थ घोषित किया गया अर्थात नो कमेन्ट दर्ज करवाया गया। संस्था की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये कमेटी द्वारा संस्था को 5.00 लाख रू. की अंशपूंजी सहायता राशि दिये जाने की अनुशंसा की जाती है।
4. रूद्र इंडस्ट्रियल वेनम एक्सेट्रक्शन सहकारी संस्था भोपाल के प्रस्ताव पर आवश्यक तकनीकी बिन्दुओं की पूर्ति न होने से विचार न करते हुये प्रथम दृष्टया आवेदन को कमेटी द्वारा निरस्त कर दिया गया।
5. माँ पीताम्बरा पर्यटन सहकारी संस्था मर्या. दतिया द्वारा प्रस्तुत दिनांक 31.03.2019 के पारित अंकेक्षण टीप में अंशपूंजी जमा की स्थिति निर्धारित परिपत्र के मापदण्ड के अनुरूप नही है, कमेटी द्वारा यह निर्णय लिया गया कि संस्था से 31.03.2020 की स्थिति की अंकेक्षित/पारित वित्तीय पत्रक मंगाये जाये, वित्तीय पत्रक प्राप्त होने के

8.10.2020

उपरांत अगर अंशपूंजी रू. 2.5 लाख पायी जाती है। तथा अन्य बिन्दुओं की पूर्ति संस्था कर रही है तो प्रस्ताव पर विचार किया जा सकेंगा।

6. बालाजी कृषि प्रसंस्करण संस्था भदेवरा जिला दतिया के प्रस्ताव के साथ संलग्न वर्ष 2018–19 के अंकेक्षण टीप में अंशपूंजी जमा राशि आयुक्त के परिपत्र के निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप नही है। कमेटी द्वारा यह निर्णय लिया गया कि संस्था से 31.03.2020 की स्थिति की अंकेक्षित/पारित वित्तीय पत्रक मंगाये जाये। वित्तीय पत्रक प्राप्त होने के उपरांत अगर अंशपूंजी रू. 2.5 लाख पायी जाती है। तथा अन्य बिन्दुओं की पूर्ति संस्था कर रही है तो प्रस्ताव पर विचार किया जा सकेंगा।
7. तत्पर परिवहन समिति मर्या. दतिया के प्रस्ताव के साथ संलग्न संलग्न वर्ष 2018–19 के अंकेक्षण टीप में अंशपूंजी जमा राशि आयुक्त के परिपत्र के निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप नही है। कमेटी द्वारा यह निर्णय लिया गया कि संस्था से 31.03.2020 की स्थिति की अंकेक्षित/पारित वित्तीय पत्रक मंगाये जाये। वित्तीय पत्रक प्राप्त होने के उपरांत अगर अंशपूंजी रू. 2.5 लाख पायी जाती है। तथा अन्य बिन्दुओं की पूर्ति संस्था कर रही है तो प्रस्ताव पर विचार किया जा सकेंगा।
8. दीन दयाल अन्त्योदय हाथकरघा बुनकर सहकारी संस्था सिरोंज जिला विदिशा के प्रस्ताव पर कमेटी के सभी सदस्यों की सहमति पर यह निर्णय लिया गया कि प्रदेश में पंजीकृत बुनकर समितियों की आर्थिक स्थिति अच्छी नही है और इनकी आमदनी अत्यंत होने के कारण ये संस्था अंशपूंजी सहायता राशि को वापस करने में सक्षम नही होगी। उक्त प्रशासकीय विभाग भी "हाथकरघा" पृथक है। अतः दीन दयाल अन्त्योदय हाथकरघा बुनकर सहकारी संस्था सिरोंज जिला विदिशा को अंशपूंजी दिये जाना उचित नही होगा।
9. जय बलराम बीज उत्पादक सहकारी समिति भरलाय जिला होंशगाबाद के प्रस्तुत प्रस्ताव में संस्था के पंजीयन को 5 वर्ष 7 माह होने के कारण आयुक्त के परिपत्र के मापदण्ड के बिन्दु को पूरा नही करने के कारण प्रस्ताव को कमेटी द्वारा एक मत से निरस्त कर दिया गया।

(श्रीमती कृष्णा कुमरे)	(अरविन्द सिंह सेंगर)	(बृजेश शरण शुक्ला)	08.P.2020 (अभय कुमार खरे)
अध्यक्ष	सदस्य	सदस्य (अनुपस्थित)	सदस्य
अपर संचालक (वित्त)	संयुक्त आयुक्त (साख)	संयुक्त आयुक्त (विपणन)	संयुक्त आयुक्त (नवाचार)

अनुभाग अधिकारी,
मध्य प्रदेश शासन,
सहकारिता विभाग

संयुक्त आयुक्त
सहकारिता, म.प्र.